न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 011/2021

चन्द्रभान उम्र 65 वर्ष पुत्र परमाराम, जाति जाट, साकिन नरसिंहपुरा, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

––प्रार्थी

बनाम

1. लाधुराम उम्र 67 वर्ष
2. राजपाल उम्र 63 वर्ष
3. आत्माराम उम्र 45 वर्ष

साकिनान नरसिंहपुरा, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।
5. उपपंजीयक उपतहसील गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा ।

––अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अशोक कुमार चालिया — प्रार्थी
2. श्री मदन लाला पारीक — अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 4
4. उप पंजीयक गोलूवाला तहसील पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 5

–:: निर्णय :–

प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री आशोक कुमार चालिया द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न प्रकार से निवेदन करते हैं कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूर्ण आशा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 3 के नाम से सयुक्त खाते की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता 359/242 प.न.41/252 (4) के किला न. 3,8,13,18,23 की कुल 5 बीघा में 1.265 हैक. कृषि भूमि है।प्रार्थना पत्र की मद स.2 मे वर्णित सयुक्त खाते की कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 व 2 मुझ प्रार्थी को नुकसान पहुचाने के आशय से बिना खाता विभाजन करवाये किसी व्यक्ति को बैचान करने की फिराक मे है, मुझ प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी स. 1 व 2 को कल दिनांक 28.01.2021 को बिना खाता विभाजन करवायें उक्त वर्णित कृषि भूमि को किसी दिगर व्यक्ति को ना बैचने के लिए कहा एवं खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम करने के लिए निवदेन किया तो अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी की बात मानने से इन्कार हो गये और ऐलानिया तौर पर कहा की हम हमारे हिस्से की कृषि भूमि को सयुक्त खाते में बैचान कर आपके हिस्से की कृषि भूमि पर भी द्य कब्जा करवा देगे। अप्रार्थीगण अपने नापाक मनसुबो में कामयाब होकर प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की सयुक्त खाते की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये एव रकम राज अलग करवाये बिना यदि बैचान कर देते है तो मुझे प्रार्थी को अपूर्णयी क्षति कारित होगी। आईन्दा मुकदमे बाजी बढेगी जिससे प्रार्थी हेरान व परेशान होगा। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से खाता विभाजन एवं रकम राज अलग कायम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि तहसील हाजा चलकर अपने हिस्सा अनुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा लेवें, अप्रार्थी सं. 1 व 2 काफी रोज तो झांसा देता रहा, परन्तु दिनांक 28.1.2021 को पारिवारिक पंचायती में खाता विभाजन करवाने से मना कर दिया। इन अति आवश्यक एवं तात्कालिक परिस्थितियों में तथा सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं प्रार्थना पत्र आदेश 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व खाता विभाजन की डिक्री जारी की जावें कि तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता 359/242 पन.41/252 (4) के किला न.3, 8, 13, 18, 23 की कुल 5 बीघा में 1. 265 हैक. कृषि भूमि में अच्छी मन्दी के अनुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम किया जावें। कि ता फैसला उक्त कृषि भूमि को बैचने से बाज व ममनू रहें। श्रीमान् जी कि अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.03.2021 को वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत किये जिसमें कथन किया कि प्रार्थना का की दफा 1 में दर्ज यह तथ्य कि उक्त अनवान् का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश हुआ है स्वीकार है, परन्तु प्रार्थी को उसमे कामयाबी की कोई आशा नहीं है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना का की दफा 3 कतई गलत एवं मिथ्यारचित है। प्रश्नगत भूमि पर अर्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 अपने अपने हिस्सा मुताबिक वर्षो से अलग– 2 काबिज होकर कारत कर रहे है। इस मु.न. 4 के पूर्व दिशा में पक्की सड़क है जो उत्तर से दक्षिण गंगानगर –सूरतगढ़ मुख्य सड़क है। इस मु.न. 4 व प. न. 41 / 252 के कि. ज. 21 ता 25 प्रत्येक में .039 हैक्ट रास्ता चालू है। यह रास्ता मुख्य सड़क से जोड़ता है। इस कि. न. 21 ता 25 से प. न. 41 / 282 के सभी काश्तकार तथा इसके चिपते ही पश्चिम दिशा में प. न. 42 / 252 के सभी काश्तकार रामचन्द्र पुत्र श्योपतराम, कृष्णलाल – रामचन्द्र पुत्र शेराराम, लाधुराम पुत्र परमाराम, लुणाराम पुत्र भैराराम, गुरचरण सिंह पुत्र कुन्डा सिंह, जेठाराम पुत्र निक्कूराम आदि व हम अपार्थी संख्या 1 ता 3 आना जाना करते हैं। यह रास्ता वर्षो से चालु है। प्रशनगत भूमि के कि.न. 23 में .039 रास्ता चालू होने के कारण इस कि.न. में 3 विस्वा भूमि कम है मौका पर इसमें 17 बिस्वा भूमि ही है। इस रास्ता के बदले में प्रार्थी ने कोई भूमि नहीं दी है। यह 3 बिस्वा भूमिहम अप्रार्थीगण की कम हो रही है। इसलिए इस भूमि का मुताबिक हिस्सा निम्न प्रकार घरू बेटवारा कर काबिज कारत है–

(क.) प्रार्थी सं.1 चन्द्रभान –चक 3 एमओडी प.न. 41 / 252 (4) कि.न. 3 / .253, 8 / .063 = .316 है0
(ख) अप्रार्थी सं.1 लाधुराम –चक 36 एमओडी प. न. 41 / 252 (4) कि.न. 8 / .190, 13 / .113 = .303 है0
(ग) अप्रार्थी सं. 2. राजफल ––चक 36 एमओडी प. न. 41 / 252(4) कि.न. 13 / .140, 18 / .163= .303 है0
(घ) अप्रार्थी सं. 3 आत्माराम–चक 36 एमओडी प.न. 41 / 252 (4) कि.न. 18 / .190, 23 / .214 = .304 है0
कि.न. 23 में .039 टैक्टे चालु रास्ता को शामिल करते हुए कि.न. 23 / .253 टैक्टे कुल. .343 है0 इसी प्रकार से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 वर्षो से अलग–2 रहकर अलग–2 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की उफा 4 कतई गलत एवं विधि विरुद्ध है। प्रार्थी अन्य सह खातेदार काश्तकारों को उनके हक हिस्सा में किसी प्रकार की रूकावट व उपयोग– उपयोग से वचित नहीं कर सकता है। कि.न. 23 में .039 है0 रास्ता को छोड़कर शेष भूमि पर जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 3 के मुताबिक प्रार्थी एवं अप्रार्थी है. 1 ता 3 काबिज काश्त है इस रास्ता बाबत चक एमओडी के प. न. 41 / 252, 42 / 252 के सभी काश्तकार की सहमति है। इस बाबत हम सभी काश्तकारों ने एक लिखित सहमति दिनांक 28.01.2021 को लिखवाकर तस्दीक करवा दी है। जिसमें प्रार्थी ने अपने हिस्सा की भूमि में से रास्ता के बदले भूमि देने से मना कर दिया था। इसलिए यह भूमि 3 विस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की कम हुई है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। प्रार्थना का की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थी ने सभी तथ्य मिथ्याचरित किये है। प्रार्थी ने कोई पंचायत नहीं बुलाई है जबकि हम–अप्रार्थीगण ने मुताबिक बंटवारा खाता विभाजन करवाने हेतु कई बार प्रार्थी को बुलाया एवं समाज के मौतविरान लोगो की पंचायत भी बुलाई लेकिन प्रार्थी एक बार भी नहीं आया प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पर पेश करने के बाद भी हमने सहमति से खाता अलग करने हेतु प्रार्थी के घर गये एवं पंचायत भी बुलाई लेकिन प्रार्थी ने सपष्ट मना कर दिया। प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही। सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृश्या मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना का प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।
आदेश

–:आदेश:–

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुए कथन किये गए जिनपर बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतो का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है उनको अपने हिस्से की भूमि को रहन बय करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार / अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated)

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेश जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 25/06/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:07 IST
Reason: SelfAttested